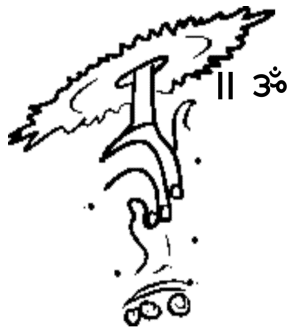

जय कुलदेवी

''एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भुतो ना भविष्यति''

॥ ॐ कुल देवताभ्यो नम: ॥ ॥ ॐ पितृ देवताभ्यो नम: ॥ ॥ ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नम: ॥

मुखर तथा निडर पत्रकारिता

जय कुलदेवी

~ मेरी भक्ति, कुलदेवी की शक्ति

wwwJayKulDevi.com info@JayKulDevi.com

वर्ष 6 अंक 01 मार्च 2023 अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। पृष्ठ 4 मूल्य 20 रूपए

UNSOLVED CASES

... अन्याय और सामाजिक विषमता का विरोध

अनसॉल्वड कैसेस 3 – स्कूल के बच्चे पर झूठा जहरीली शराब का केस !

रक्षक बने भक्षक

It's like a movie, the screenplay was ready and the police went on inserting (names of) the actors (accused)", and added that words were put in the victim's mouth. The investigation officer was given instructions to make up such a case, and hence he made it up.

मेहरबान भी पढ़ना लिखना चाहता था एक अच्छी जिन्दगी जीना चाहता था किन्तु झूठे जहरीली शराब का केस के कारण मात्र 16 वर्ष की उम्र में 36 दिन वयस्क लोगों के साथ जेल में रहना पड़ा इस कारण दिमाग पर गहरा असर हुआ और पढ़ना लिखना छूट गया। आज जिन्दगी बर्बाद हो गयी हैं। आज वाहन चालक जैसी कठोर जीवन शैली जी रहा है और रोजी रोटी कमाने कि मशक्कत में लगा रहता हैं।

PARTICULARS OF CRIME/OFFENCE
Crime No.592/2015
Police Station, Station Road, Ratlam (MP)
U/S 49-A Excise Act.

घटना का दिनांक और समय - 30.08.2015
प्रथम सुचना रिपोर्ट कि दिनांक और समय -30.08.2015
चालान प्रस्तुति दिनांक - 05.01.2016
आरोप विरचित दिनांक -
गिरफ्तारी कि तारीख- 30.08.2015
जमानत पर रिहा करने कि तारीख - 06.10.2015
निरोध की अवधि - 36 दिन
निर्णय दिनांक- 03.09.2022

अभियोजन कहानी

संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना स्टेशन रोड पर पदस्थ ऊनि. सर्वल भ्रमण के दौरान कालिका माता परिसर पहुंचे जहां मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने हाथ में एक पांच लीटर प्लास्टिक की केन में हाथ भट्टी की जहरीली शराब लेकर फव्वारा चैक पेट्रोल पंप के सामने बैठा है जो किसी को विक्रय करने वाला है। सूचना पर

आर. रघुवीरसिंह व आर. पप्पू को जरिये वायरलेस के तलब कर राहगीर पंचान निसार व सुल्तान को तलब कर मुखबीर सूचना से अवगत कराया व मुखबीर पंचनामा बनाया। बाद मय पंचान फोर्स के रवाना होकर फव्वारा चैक के पास पहुंचे कि एक व्यक्ति पेट्रोल पंप के सामने बैठा था व अपने दाहिने हाथ में एक पलास्टिक की केन लेकर खडा हो गया व इधर उधर देखने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से पंचान के समक्ष पकडा जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मेहरबान सिंह पिता पर्वतसिंह निवासी धराड का होना बताया।

उसके हाथ में प्लास्टिक की केन के ढक्कन को खोलकर सूघने पर केन के अंदर से तीव्र गंध कच्ची शराब की आना पाया जो पंचानों को सुंघाया उनके द्वारा भी तेज गंध की पुष्टि की गयी। उक्त कच्ची अमानक जहरीली शराब लाने ले जाने एवं कब्जे में रखने का लायसेंस पूछते उसने उसके पास कोई लायसेंस नहीं होना बताया। तत्पश्चात् उक्त आरापी का कृत्य धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होने से एक लीटर केन में से शराब का सैंपल जांच हेतु निकाला गया। आरोपी को गिरफतारी के कारणों से अवगत कराकर

विधिवत पंचानों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् उक्त रिपोर्ट पर से थाने पर आकर जप्तशुदा माल को एच.सी.एम. को जिम्मे देकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 592 /15 अंतर्गत धारा 49-ए आबकारी अधिनियम दर्ज कर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना गवाहों के कथन अंकित किये गये, मौका नक्शा, गिरफतारी पत्रक, जप्ती पत्रक, रोजनामचा एवं अन्य दस्तावेजों सहित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.10.2015 को प्रस्तुत किया गया।

प्र. 01 - घटना की तिथि के समय पीड़ित कि उम्र क्या थी ?

मेहरबान सिंह की जन्म तिथि 08.06.1999 अर्थात घटना की तिथि 30.08.2015 है, उस समय वह 16 वर्ष 2 माह 22 दिन का किशोर /बालक था।

प्र. 02 - इस प्रकरण में माननीय न्यायालय कि विशेष टिप्पणी क्या हैं ?

(शेष पेज नं. 2 पर)

THAT AN ADVOCATE IS A GUARDIAN OF CONSTITUTIONAL MORALITY AND JUSTICE EQUALLY WITH A JUDGE.

Advocate, is a person in uniform involved in a noble profession. The office of the lawyer is no less respected than Courts of law.

~ Engineer Vijay Singh Yadav, Advocate
MP/1549/2019 (Enrolment No. in State Bar Council)
Address: 40, Laxmi Nagar,
Ratneswar Road, Ratlam(M.P.) 457001
e-mail:LEGAL@J AYKULDEVI.COM,
Mo.: 89890-01819

who always spoke out against injustice and stood up for the poor and helpless people and worked as a lawyer for many years advocating for human rights and obtaining justice for them.

FAIR CRITICISM OF THE JUDICIARY

Freedom of speech is a fundamental right guaranteed to every Indian citizen under Article 19(1)(a) of the Constitution, albeit subject to reasonable restrictions under Article 19(2). In C.K. Daphtary v. O.P. Gupta (1971), the Supreme Court held that the existing law of criminal contempt is one such reasonable restriction. That does not mean that one cannot express one's ire against the judiciary for fear of contempt.

My expression represents my bonafide beliefs, the expression of which must be permissible in any democracy. Indeed, public scrutiny is desirable for the healthy functioning of the judiciary itself. I believe that open criticism of any institution is necessary in a democracy, to safeguard the constitutional order.

I am never afraid to confront corrupt judges and call them out. my fearless and outspoken voice will be sorely missed at a time when JUDICIAL MISCONDUCT and lack of judicial independence are reaching a crescendo.

I will write a couple of questions for JUDICIAL MISCONDUCT every day, which were duly published in JAY KULDEVI for the next several months.

- Engineer Vijay Singh Yadav, Advocate

न्यायालय कि आदेशपत्रिका की सद्भावनापूर्ण और सकारात्मक आलोचना

यदि मै इंजिनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता न्यायपालिका और उसके अनेकों फैसलों / आदेशों / विधि की प्रक्रिया का दुरुप्रयोग करने वाली न्यायालय कि आदेशपत्रिका की सद्भावनापूर्ण और सकारात्मक आलोचना करता हूँ की इसे अदालत की अवमानना और न्याय कार्य में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता हैं । कोर्ट द्वारा दिये किसी भी निर्णय पर तथा न्यायिक क्षमता (शक्ति) में जज के व्यवहार पर **(a) Fair** (न्याययुक्त ,सच्ची,स्पष्ट,शुद्ध), **(b) Reasonable** (विवेकयुक्त, उचित, न्यायसिद्ध) और **(c) Legitimate** (यथायोग्य, नियमानुसार, खरी) आलोचना **(criticize)** साधारण आदमी **(ordinary men)** द्वारा भी की जा सकती है । न्याय या फैसला **(justice)** मठ का आदेश **(cloistered)** नहीं है। फैसले **(judgement)** की **scrutiny** (सुक्ष्म परिक्षा,छानबीन,अनुसंधान,जांच) की जा सकती हैं । **यद्यपि हमारा आशय किसी भी प्रकार से न्यायालय की गरिमा या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है, अपितु आम नागरिकों को कानून की प्रक्रिया के प्रति जागरुक करना है । अतः किसी को भी कोई आपत्ति हो या किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो संपादक / प्रकाशक क्षमाप्रार्थी है ।**

सम्पादकीय...

फर्जी शिकायत

फर्जी दुर्भावनापूर्ण मुकदमों और उत्पीड़न के शिकार निर्दोष लोगों को अनिवार्य मुआवजा योजना प्रदान करने के लिए प्रभावी वैधानिक या कानूनी योजना का अभाव, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मूलभूत अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन करता है।

शासन सभी नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने दायित्व से बच नहीं सकता। इसलिए वह आईपीसी और सीआरपीसी में उचित संशोधनों के जरिए गलत तरीके से बेगुनाहों के खिलाफ मुकदमा चलाने के न्याय के पतन को प्राथमिकता से संबोधित करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त वैधानिक और कानूनी तंत्र विकसित करे। न्यायोचित तंत्र विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है , जिससे निर्दोष लोगों का उत्पीड़न रोका जा सके। फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुकदमा चलाने के लिए एक तंत्र बनाने और फर्जी मुकदमों के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश जारी किया जाए।

विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामलों, जिन पर विशेष कृत्यों में मुकदमा चलाया जाता है, के तेज़ी से निपटान के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए, और, विचाराधीन कैदियों के मामलों को समयबद्ध तरीके से तय करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए।

पुलिस गलत केस बनाकर आपको फसाये तो क्या करना चाहिये

अगर पुलिस आप के खिलाफ झूठे सबूत बनाती है । झूठे सबूत या डॉक्यूमेंट बनाकर आपको फसाने की

कोशिश करती है तो आपको क्या करना चाहिए । उसके खिलाफ कौन-कौन से एक्शन लिया जा सकते हैं । इसके लिए उन पर कौन-कौन सी धाराएं लगेंगी

आईपीसी की धारा 220 आईपीसी की धारा 167 आईपीसी की धारा 218 के बारे में । यह धाराये कहां और कैसे लगाई जाती है । जब कोई सरकारी अफसर आपके खिलाफ झूठे दस्तावेज बनाकर आपको फसाने की कोशिश करता है ।

आईपीसी की धारा 220 के अंतर्गत क्या अपराध होता है ।

अपराध– प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए य परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी ।

आईपीसी की धारा 167 में क्या अपराध होता है

अपराध - लोक सेवक जो क्षति कार्य करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज यानी कि नकली दस्तावेज रचना या तैयार करवाना ।

आईपीसी की धारा 218 में क्या अपराध होता है

अपराध - किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या फिर नकली रचना करना ।

अगर आपको कोई पुलिस कर्मी केवल धमकी दे रहा हैं तो आइये अब हम जानते हैं की या करना हैं ।

अगर कोई पुलिस कर्मी आपको झूठे केस में फ़साने की धमकी दे रहा हैं आपको अभी फसाया नही हैं तो ऐसा करना भी कानून के नज़र में अपराध हैं और बाकायदा IPC की धारा 389 में भी इसका प्रावधान हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भी डरने की कोई जरुरत नही हैं क्योकि कानून आपके साथ हैं।

अगर आपको पुलिस कर्मी किसी झूठे केस में फसा दिया है तो IPC की धारा 388 में इसका प्रावधान हैं लेकिन अगकर वह पुलिस कर्मी केवल केवल धमकी दे रहा हैं तो ऐसे में IPC की धारा 389 में भी इसका प्रावधान हैं, इसके आलावा अगर कोई पुलिस कर्मी किसी आम नागरिक को किसी झूठे केस में फ़साने का प्रयत्न कर रहा हैं। तो इसका मतलब यह हैं की वह अपनी ड्यूटी के विपरीत कार्य कर रहा हैं, यानि उस पुलिस वाले ने कानून व्यवस्था के नियमो को तोड़कर इसके विपरीत कार्य किया है तो ऐसे में IPC की धारा 166 यह प्रावधानित करती हैं की जो कोई पुलिस कर्मी अपने ड्यूटी के विपरीत कार्य करता है। तो ऐसे में उस पुलिस कर्मी को IPC की धारा 166 के तहत दंड देने का प्रावधान हैं, अब जरा गौर कीजिये की जो फ़साने की जो धारा हैं 388 और जो केवल फसा देने की धमकी को लेकर धारा हैं, तो इन दोनों धाराओ में 10 साल की सजा का प्रावधान हैं और IPC की धारा 166 और 166 जो की पुलिस के विपरीत कार्य करने के सम्बंध में धारा हैं तो उसमे पुलिस कर्मी धारा 166 में 1 वर्ष की सजा और धारा 166 में 2 वर्ष की सजा होने का प्रावधान हैं ।

अनसॉल्वड कैसेस 3 –

(प्रथम पेज का शेष समाचार)

माननीय न्यायालय- मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला रतलाम (म. प्र.) ने निर्णय के पैरा 13 में स्पष्ट लेखा किया है कि ...अत: जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी रामसिंह खपेड (अ.सा.-04) द्वारा जप्तशुदा सम्पत्ति को सील, मुद्रांकित ना कर विधि की सुनिश्चित प्रक्रिया का अनुपालन नही किया है, जिससे जप्तशुदा मुद्देमाल में छेड-छाड या हस्तक्षेप होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है एवं ना ही मुद्देमाल के स्वरूप या प्रकृति में छेड-छाड होने की संभावना से इंकार किया जा सकता है।

प्र. 03 - इस प्रकरण से मेहरबान के छात्र जीवन पर क्या असर हुआ ?

मेहरबान भी पढ़ना लिखना चाहता था एक अच्छी जिन्दगी जीना चाहता था किन्तु झूठे जहरीली शराब का केस के कारण मात्र 16 वर्ष की उम्र में 36 दिन वयस्क लोगों के साथ जेल में रहना पड़ा इस कारण दिमाग पर गहरा असर हुआ और पढ़ना लिखना छूट गया। आज जिन्दगी बर्बाद हो गयी हैं। आज वाहन चालक जैसी कठोर जीवन शैली जी रहा है और पानी रोजी रोटी कमाने मि मशक्कत में लगा रहता हैं।

प्र. 04 - इस प्रकरण से निर्णय दिनांक 03.09.2022 में दोषमुक्त होने के बाद क्या किया गया है ?

सुश्री मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रतलाम (म.प्र.) के समक्ष विधिक शिक्षा, सहायता- मुफ्त क़ानूनी परामर्श और गरीबों के लिए नि:शुल्क सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था जय कुलदेवी फॉउन्डेशन, द्वारा अधिवक्ता श्री विजय सिंह यादव ने एक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 सहपठित धारा 156 (3) द.प्र.स. का पुलिस अधिकारी रामसिंह खपेड़ तथा रघुवीर सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जिसका सीआईएस पर यूएनसीआर 602/2022 हैं ।

सुश्री मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रतलाम (म.प्र.) के समक्ष दिनांक 14.10.2022 के निर्देशानुसार अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य है जिसके उपरांत ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की सकेगी।

प्र. 05 - इस प्रकरण में और क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रतलाम (म.प्र.) द्वारा दिनांक 14.10.2022 की कार्यवाही से व्यथित एवं दुखी होकर माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका CRR 109/2022 प्रस्तुत की गयी हैं।

प्र. 06 - क्या इस प्रकार के अन्य झूठे प्रकरण भी आपके सामने आये हैं ?

इस पर इंजिनियर विजय सिंह यादव अधिवक्ता का कहना है की अनेकों झूठे प्रकरणो में मेरे द्वारा पैरवी करके निर्दोषो को बचाया गया है ईस प्रकार का एक प्रकरण माननीय न्यायिक दण्डधिकारी प्रथम श्रेणी रतलाम मध्य प्रदेश श्री मनीष अनुरागी के समक्ष प्रकरण क्रमांक RCT 2604937 / 2016 निर्णय दिनांक 03.08.20221 में स्पष्ट लेख है की प्रकरण पांच वर्ष पुराना होकर उसका शीघ्र निराकरण करना है। विगत पेशी पर साक्षीगण को उपस्थित रखने हेतु आदेशित किया गया था, किन्तु साक्षी उपस्थित नहीं है। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में होकर जेल में है। प्रकरण में लंबान की स्थिति देखते हुये और अभियुक्त के शीघ्र सुनवाई के अधिकार को दृष्टिगत रखते हुये उक्त साक्षीगण को तलब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से तथा प्रकरण धारा 25(1-बी) (बी) आयुध अधिनियम का होने से अभियोजन को और अधिक समय दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से तथा अभियोजन को पूर्व में मिले पर्याप्त अवसर को देखते हुये अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गई।

अभियोजन, आरोपी मनोज के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 11.11.2016 को समय 11.35 बजे स्टेडियम के सामने गेट स्टेशन रोड रतलाम में अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञा के एक लोहे की धारदार पाईप और पत्ती से बनी मूठ लगी तलवार जिसके फल की लंबाई 2 फीट 2 इंच, मूठ की लंबाई 3.5 इंच रखकर म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312-6552, दिनांक 22.11.1974 का उल्लंघन किया। परिणामस्वरूप आरोपी मनोज को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1-बी) (बी) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्र. 07 - क्या इसे पुलिस की मनमानी या जंगलराज कहना उचित होगा ?

हिंदुस्तान में कानून का राज है कोई जंगलराज नहीं।

विवेचनाओं में विवेचकों की ओर से होने वाली मनमानी एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चहिये साथ विवेचना की गुणवत्ता में वृद्धि होकर साथ ही पर्यवेक्षण और मजबूत होना चाहिये ।

प्र. 08 - क्या न्यायालय भी अभियोजन पक्ष का मुखपत्र के समान यांत्रिक कार्यप्रणाली की तरह बिना न्यायिक दृष्टिकोण के कार्य कर रहे हैं ?

शायद यह एक विचार का बिंदु हैं।

गरीब होने के कारण किसी भी जेल की दीवारें गरीबों को नहीं रोक पायेगी।

विधिक शिक्षा, सहायता- मुफ्त क़ानूनी परामर्श और गरीबों के लिए नि:शुल्क सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था जय कुलदेवी फॉउन्डेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि पुरुष उत्पीड़न से जुडे एवं अन्य मामलो में विधिक सहायता हेतू आप कार्यालय के पते जय कुलदेवी फॉउन्डेशन, 40 लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड़, रतलाम (म. प्र.) पर हमसे सम्पर्क कर सकते है।

आप अधिक जानकारी हेतू 9827.007.283 पर फोन कर भी हमसे सम्पर्क कर सकते है।

सम्बंधित समस्त जानकारियाँ के लिये जय कुलदेवी मासिक समाचार पत्र और जय कुलदेवी फॉउन्डेशन से आप इन सोशल मीडिया चैनल्स पर भी जुड़ सकते हैं-

व्हाट्सएप्प/WhatsApp: 9827-007-283

यूट्यूब/Youtube: https://www.youtube.com/JayKulDevi

फ़े सबुक/Facebook: https://www.facebook. com/JayKulDevi

ट्विटर/Twitter: https://twitter.com/JayKul Devi

visit Us at: www.JayKulDevi.com

e-mail us at: info@JayKulDevi.com

सभी साथियों से एक निवेदन है की आप सभी अपने Whatshapp Group और Facebook पर इस Link को ज़्यादा से ज़्यादा send करे ...

लोकतंत्र के चौथे आधार स्तम्भ का आभार - आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद

सिक्के का तीसरा पहलू

जहरीली शराब पीकर मरने वालों का ग्राफ दिल दहला देने वाला है। इंसानों की जान ऐसे जा रही है, जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आमतौर पर कच्ची शराब की बोतल की कीमत महज 20, 30 या 50 रुपये तक ही रहती है। गौरतलब है कि ये लोग इतने गरीब हैं कि इनकी मौत के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवारों को कर्ज लेना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि शराब आती कहां से है और क्या इतनी आसानी से शराब उपलब्ध हो जाती है? वहीं और किन राज्यों में जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही हैं? जहां-जहां शराबबंदी का कानून लागू है, वहां की क्या स्थिति है?

देश में बीते 6 साल में हुई 6000 से ज्यादा मौतें

केंद्र सरकार के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच पूरे भारत में जहरीली शराब पीने से 6,172 लोगों की मौत हुई है। दरअसल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2016 में 1054, 2017 में 1510, 2018 में 1365, 2019 में 1296 और 2020 में 947 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से देश के कई राज्य हैं जहां मौतें हो रही हैं। इन राज्यों में नाम सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश और पंजाब। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और उत्तराखंड भी शामिल है।

जहरीली शराब त्रासदी के लिए पीड़ितों को कहां और किस प्रकार का चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है। उनमें से ज्यादातर गरीब परिवारों से हैं और शायद निजी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करा सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जहां कहीं भी उपलब्ध हो, उन्हें सर्वोत्तम हर संभव चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए। आयोग राज्य सरकार द्वारा दी गई राहत और पुनर्वास के बारे में और साथ ही, सभी राज्य में रुक-रुक कर हो रहे इस सामाजिक खतरे को पूरी तरह से खत्म करने की दृष्टि से पूरे राज्य में गुप्त अवैध शराब बनाने वाले हॉट स्पॉट को बंद करने के लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों के बारे में जानना चाहता है।

ऐसी घटनाओं से संकेत मिलता है कि वह अवैध और नकली शराब की बिक्री को रोकने में सक्षम नहीं है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट में निम्नलिखित की स्थिति शामिल

होना अपेक्षित है । प्रभावितों को चिकित्सा उपचार क्योंकि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है; पीड़ितों या उनके परिवारों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो; प्राथमिकी; और मामले में लापरवाह पाए जाने पर लोक सेवकों के खिलाफ की गई कार्रवाई।

कैसे शराब बन जाती है जहरीली ?

इथेनॉल + मेथनॉल जहरीली शराब है।

विकृत एल्कोहोल इथेनॉल है जिसमें इसके मनोरंजक खपत को हतोत्साहित करने के लिए इसे जहरीला, खराब-स्वाद, गंध-सुगंध या मतली बनाने के लिए योजक होते हैं।

विकृत एल्कोहोल शब्द का तात्पर्य जहरीले और/या खराब स्वाद वाले योजक (जैसे, मेथनॉल, बेंजीन, पाइरीडीन, अरंडी का तेल, गैसोलीन, आइसोप्रोपिल एल्कोहोल और एसीटोन) के साथ मिलावटी एल्कोहोल उत्पादों से है, जो इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

उपयोग किया जाने वाला सबसे आम योजक मेथनॉल (5-10 प्रतिशत) है , जो मिथाइलेटेड स्पिरिट शब्द को जन्म देता है। विकृत एल्कोहोल का उपयोग घरेलू स्तर पर या औद्योगिक उपयोग के लिए कम लागत वाले विलायक या ईंधन के रूप में किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

जहरीली शराबइथेनॉल या ग्रेन एल्कोहोल है जिसमें अतिरिक्त रसायन होते हैं जिन्हें विगुणक कहा जाता है जो इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं।

कुछ प्रकार के प्रयोगशालाकार्य के लिए और कुछ उत्पादों में एक घटक के रूप में जहरीली शराब ठीक है , लेकिन इसे पीना सुरक्षित नहीं है ।

इथेनॉल एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। यह रासायनिक सूत्र **C2H6O** के साथ सरल एल्कोहोल है।

इसका सूत्र **CHx -CHw -OH** या **CwHzOH** के रूप में भी लिखा जा सकता है और इसे अक्सर **EtOH** के रूप में संक्षिप्त किया जाता है।

अतिरिक्त जानकारी

एल्कोहोल (इथेनॉल या एथिल अल्कोहल) बीयर, वाइन और स्पिरिट में पाया जाने वाला वह घटक है जो नशे का कारण बनता है।

एल्कोहोल तब बनता है जब यीस्ट विभिन्न खाद्य पदार्थों में शर्करा को किण्वित करता है (ऑक्सीजन के बिना विघटित हो जाता है)। जब यूरिया, ऑक्सीटोसिन, गुड़ और पानी को मिलाकर फर्मेंटेशन किया जाता है तो इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। यह मिथाइल अल्कोहल ही शराब के जहरीला होने का कारण बनता है।

कच्ची यानि देशी शराब बनाने के लिए गुड़, पानी, यूरिया का इतेमाल किया जाता है। इसमें कई खतरनाक केमिकल का भी इस्तेमाल होता है। इस विधि से तैयार शराब को लंबे समय तक रखने से इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। ऐसे में शराब जहरीली हो जाती है।

दरअसल, कच्ची शराब बनाने वाले गुड़ को सड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नौसादर और यूरिया भी मिलाया जाता है। यह सभी पदार्थ जानलेवा होते हैं। जब यूरिया, ऑक्सीटोसिन, गुड़ और पानी को मिलाकर फर्मेंटेशन किया जाता है तो इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। यह मिथाइल अल्कोहल ही शराब के जहरीला होने का कारण बनता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि शराब बनाने के लिए टेंपरेचर का ख्याल नहीं रखने पर भी इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल भी बन जाता है।

ऐसी शराब शरीर में जाकर फार्मेल्डिहाइड (फॉर्मिक एसिड) बना देती है। जो आंखों की रोशनी जाने के अलावा मौत का कारण भी बन जाता है। वहीं मिथाइल अल्कोहल नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन भी कर सकता है, जिससे हार्टअटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं।

'जय कुलदेवी' के स्वामित्व एवं अन्य विवरण के सज़्बंध में

घोषणा पत्र

फार्म (नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थान	-	40 लक्ष्मी नगर रत्नेश्वर रोड़, रतलाम
2. प्रकाशन की अवधि	-	मासिक
3. मुद्रक का नाम	-	विजय सिंह यादव
ज़्या भारतीय नागरिक है	-	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	-	
पता	-	40 लक्ष्मी नगर रत्नेश्वर रोड़, रतलाम
4. प्रकाशक का नाम	-	विजय सिंह यादव
ज़्या भारतीय नागरिक है	-	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	-	
पता	-	40 लक्ष्मी नगर रत्नेश्वर रोड़, रतलाम
5. (अ) प्रधान सज़्पादक का नाम	-	विजय सिंह यादव
ज़्या भारतीय नागरिक है	-	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	-	
पता	-	40 लक्ष्मी नगर रत्नेश्वर रोड़, रतलाम
(ब) स्थानीय सज़्पादक का नाम	-	विजय सिंह यादव
ज़्या भारतीय नागरिक है	-	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	-	
पता	-	40 लक्ष्मी नगर रत्नेश्वर रोड़, रतलाम
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों ।	-	विजय सिंह यादव 40 लक्ष्मी नगर रत्नेश्वर रोड़, रतलाम

मैं विजय सिंह यादव एतद द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य है ।

दिनांक 04.03. 2023

विजय सिंह यादव
प्रकाशक के हस्ताक्षर

काला धन वापस लाओ

जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम मध्य प्रदेश के समीप कोर्ट चौराहे पर काला धन वापस लाओ के लिये संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अनिश्चित कालीन विरोध प्रदर्शन करेंगे ।

इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमन्त्रित है

आज तक काला धन वापस लाओ का मुद्दा जिन माननीय लोगों द्वारा उठाया गया था आजकल वे भी चुप हैं।

आज कल कोई भी विदेशी बैंको में रखे काले धन के बारे में नहीं बोल रहा हैं ?

क्या सारा काला धन वापस आ गया हैं ?

भारत में, अवैध तरीकों से अर्जित किया गया धन काला धन (ब्लैक मनी) कहलाता है। काला धन वह भी है जिस पर कर नहीं दिया गया हो। भारतीयों द्वारा विदेशी बैंको में चोरी से जमा किया गया धन का निश्चित ज्ञान तो नहीं है किन्तु श्री आर वैद्यनाथन ने अनुमान लगाया है कि इसकी मात्रा लगभग 7,280,000 करोड रूपये हैं।

संविधान शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार देता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (बी) के अनुसार शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के जमा होने का अधिकार है. इसके अलावा, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया है।

Corporate Identity Number : U85300MP2021NPL058018

चेरिटेबल संस्था

JAY KULDEVI FOUNDATION
जय कुलदेवी फॉउन्डेशन
मेरी भक्ति, कुलदेवी की शक्ति

Tapasvi Entertainment Labs Pvt. Ltd.
bringing visions to life

LIGHTS... CAMERA... ACTION!

JAY KULDEVI NEWSPAPER Presents

UNSOLVED CASES

अन्याय और सामाजिक विषमता का विरोध

We are looking for victims of abuse and injustices turned superheroes, just because they were brave enough to tell their stories to our upcoming web series TALK SHOW

Hey Guys..
I am making a team for known OTT platform short film and series..We need some pessionate writer,editor, actor,actress director Who wants to work for the career without lot of money at this point of time.Kindly contact and share profile on these numbes.

Vijay. :- 9827007283
Neville :- 9589281031

मुखर तथा निडर पत्रकारिता
जय कुलदेवी
मेरी भक्ति, कुलदेवी की शक्ति

इंजी. विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
Er. Vijay Singh Yadav, Advocate

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001
Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam (M.P.) 457001

9827-007-283 www.JayKulDevi.com info@JayKulDevi.com JayKulDevi JayKulDevi JayKulDevi

स्वामी जय कुल देवी सेवा समिति रतलाम प्रकाशक, मुद्रक विजय सिंह यादव (अध्यक्ष–जय कुलदेवी सेवा समिति रतलाम), द्वारा आशीर्वाद ऑफसेट शाप नं.05 गाँधी स्कूल के पास, नाहरपुरा गली नं.2 रतलाम (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक विजय सिंह यादव मो. 9827007283। न्याय क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) रहेगा। डाक पंजीयन क्रमांक एमपी/आरटीएम/221/2023-25
RNI - MPHIN/2018/75494